भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

- इस अधिनियम के अन्तर्गत भागीदारी फर्मो के पंजीकरण, पंजीकरण के पश्चात फर्म के व्यवसाय के परिवर्तन, पंजीकृत फर्म के ब्रान्च खोलने या बन्द करने की सूचना, किसी भागीदार का भागीदारी फर्म की भागीदारी में शामिल होने या पृथक होने की सूचना पंजीकृत की जाती है।
- सूचना अथवा फर्म के विघटित होने की सूचना तथा अवयस्क जो पूर्व से किसी पंजीकृत भागीदारी में लाभांश हेतु भागीदार हैं, के वयस्क होने पर शामिल होने की सूचना जो उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी रूल्स 1932 में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करने पर उसकी सूचना पंजीकृत करने एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाती है ।

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत

1–पार्टनरशिप फर्मो का पंजीकरण।

2–पार्टनरशिप फर्मो के नाम परिवर्तन का पंजीकरण।

3–पार्टनरशिप फर्मो के साझीदारों में किये गये परिवर्तन का पंजीयन

4–पार्टनरशिप फर्मो के विघटन का पंजीयन।

5–पार्टनरशिप फर्मो में नाबालिग साझीदार की सूचना का पंजीयन।

6–पार्टनरशिप फर्मो में साझीदारों के परिवर्तित पते का पंजीयन।

7–पार्टनरशिप फर्म के शाखा खोले जाने संबंधी कार्यवाही का पंजीयन।

8– **पार्टनरशिप फर्मो में साझीदारों के नाम परिवर्तन का पंजीयन।**

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन फर्म पंजीकरण की औपचारिकताएं

फर्म के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश

1. पंजीकरण शुल्क रू0 5000/– (नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट)
2. निर्धारित प्रारूप पर फार्म–1
3. फार्म–1 पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।
4. फर्म का नाम ऐसा नही होना चाहिये, जिससे राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के संरक्षण का बोध हो।
5. नोटरी शपथ पत्र, जिसमे उल्लेख हो कि फार्म मे दी गयी जानकारी सत्य व सही है एवं कोई तथ्य छुपाया नही गया है। फार्म मे अंकित हस्ताक्षर साझेदार द्वारा ही किया गया है।
6. पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति
7. साझेदारों के पते एवं पहचान पत्र की छायाप्रति
8. फर्म के नाम मे परिवर्तन हेतु निर्धारित फार्म–2 पर आवेदन किया जायेगा।
9. फार्म–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 के सम्बन्ध मे किसी दैनिक समाचार पत्र एवं सरकारी गजट मे विज्ञप्ति प्रकाशित कराना होगा, तत्पश्चात् समाचार पत्र की कटिंग के साथ निर्धारित फार्म पर आवेदन किया जायेगा ।

10. फार्म–7 पर सम्मिलित किये जाने अथवा निकलने वाले साझेदार के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराये जाने चाहियें।

11. फार्म –2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 के साथ रू0 150/– नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा।